भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2390

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

अपंजीकृत कंपनियों द्वारा धनशोधन गतिविधियां

2390. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12.09.2017 तक एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य ठहराने हेतु पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन कंपनियों की छत्रछाया में धनशोधन गतिविधियां भी की जा रही हैं और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने 2 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है और उनके बैंक खातों से लेन-देन प्रतिबंधित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): किसी कंपनी के निदेशक की अयोग्यता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित विधि के परिचालन द्वारा घोषित की जाती है। धारा 164(2)(क) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति, जो किसी कंपनी का निदेशक है या रह चुका है, जिसने तीन वित्तीय वर्षों की किसी लगातार अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणियाँ दायर नहीं की है, को उक्त कंपनी में ऐसा करने में असफल रहने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त या किसी अन्य कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 167(1)(क) में प्रावधान है कि किसी निदेशक का पद उसके अधिनियम की धारा 164 में विहित किसी अयोग्यता के मामले में रिक्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 14(2) में कंपनियों को इस तरह की असफलता पर अपने निदेशकों का विवरण प्ररूप डीआईआर-9 में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को दायर करना अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के तहत तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16) की लगातार अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणियाँ दायर नहीं करने के लिए 3,09,619 निदेशकों की अयोग्य के रूप में पहचान की गई है।
(ख): इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210(1)(ग) के साथ पठित धारा 216 के तहत उन 68 कंपनियों के वास्तविक स्वामित्व की जांच के आदेश दिए हैं जिन्होंने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान अपने बैंक खातों से असाधारण ढंग से रूपए जमा कराए और निकाले।
(ग): सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 31.12.2017 तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम काटे और सभी बैंको के साथ उनकी उचित कार्रवाई हेतु सूचना साझा की।

*****